



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1380/2026

अमन निषाद

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

: शिवम कुमार मोदनवाल

प्रतिवादी अधिवक्ता

: उमेश कुमार पाल, जी.ए., आर.बी. पाल

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री शिवम कुमार मोदनवाल और मुखबिर के अधिवक्ता श्री आर.बी. पाल और राज्य के अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को भी देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 243/2025, धारा 191(2), 191(3), 61(2), 103(1), 3(5) बीएनएस, थाना - रुद्रपुर, जिला - देवरिया के तहत, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में बताए गए जुर्म से उसका कोई लेना-देना नहीं है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसकी संलिप्तता सिर्फ उसके कथित कबूलनामे और कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सामने आई है। यहां तक कि सीसीटीवी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फुटेज में भी सिर्फ मुख्य आरोपी, जिस पर जुर्म करवाने का आरोप है, और तीन अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने रात में शराब पी थी। फुटेज में आवेदक पर किसी खास खुलेआम काम का आरोप नहीं लगाया गया है।

5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक की पहचान साबित करने के लिए किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं की गई है। आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने वाले किसी भी सीधे या ठोस सबूत के न होने पर, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 5.7.2025 से जेल में बंद है, और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. इसके उलट, राज्य विधि अधिकारी और सूचना देने वाले के वकील ने जमानत अर्जी का इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि आवेदक की निशानदेही पर कुल्हाड़ी मिली है और मृतक को कटने का जख्म है, इसलिए आवेदक जमानत का हकदार नहीं है। हालांकि, वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और यह भी देखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और आवेदक की कोई परीक्षण पहचान परेड नहीं हुई है, पहली नज़र में मुझे यह आवेदक को जमानत पर रिहा करने का सही मामला लगता है। जमानत अर्जी **मंजूर** की जाती है।

8. आवेदक- **अमन निषाद** , जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(सिद्धांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।